

प्रेषक,

निदेशक (उच्च शिक्षा),
उत्तराखण्ड, नवाडखेड़ा, गौलापार (नैनीताल)।

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय (सम्बन्धित)
उत्तराखण्ड।

पत्रांक: डिग्री संविदा/गैस्ट फ़ैकल्टी/13255-13313/2015-16 दिनांक: 21 दिसम्बर, 2015

विषय: गैस्ट फ़ैकल्टी, 2015 में तृतीय चरण में चयनित अभ्यर्थियों को योगदान कराने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1227/XXIV(7)/14(1)2015 दिनांक 19 सितम्बर, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध) जिसके माध्यम से गैस्ट फ़ैकल्टी 2015 के रूप में अभ्यर्थियों का चयन करने के उपरान्त आपके महाविद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षण सत्र 2015-16 में परीक्षा समाप्ति अथवा 30 जून, 2016 अथवा लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित प्रवक्ता के कार्यभार ग्रहण करने जो भी पहले हो योगदान देने हेतु आमंत्रित किया जाता है (विषयवार चयनित अभ्यर्थियों एवं उनको आबंटित महाविद्यालय की सूची निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है)।

शासनादेश के अन्तर्गत अभ्यर्थी के संगत पद हेतु अर्ह न होने की स्थिति में यह आमंत्रण स्वयं ही निरस्त माना जायेगा। अभ्यर्थी Website पर सूची जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से सम्पर्क कर रू0 100.00 (रूपये एक सौ) मात्र के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में तद्विषयक अनुबन्ध पत्र (प्रारूप निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध) नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर पूरित करना सुनिश्चित करेंगे।

इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को इस आशय का पृथक से शपथ पत्र भी रू0 10.00 (रूपये दस) मात्र के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा कि किसी भी दशा में गैस्ट फ़ैकल्टी पर आमंत्रित करने को आधार बनाकर विनियमितिकरण की मांग नहीं करेंगे।

प्राचार्य, कृपया

Website पर पत्र निर्गत होने के 10 दिन पूर्ण होते ही महाविद्यालय के लिये आबंटित अभ्यर्थियों की सूची, उसके सापेक्ष कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों तथा कार्यभार ग्रहण न करने वाले अभ्यर्थियों की विषयवार सूचना निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्राचार्य यह भी अवगत हों कि विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय एवं कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी तथा अंग्रेजी विषयों की चयन सूची पूर्व में जारी की जा चुकी है। शेष विषयों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया गतिमान है।

इस प्रयोजन हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का मार्ग व्यय देय नहीं होगा। निर्धारित अवधि अर्थात् वेबसाइट पर सूची जारी होने की तिथि से 10 दिन के भीतर योगदान न देने की स्थिति में आमंत्रण स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।

भवदीय

(डॉ० बी०सी० मलकानी)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तराखण्ड, नवाडखेड़ा, गौलापार (नैनीताल)

पृ०सं०: डिग्री संविदा/गैस्ट फ़ैकल्टी/

/2015-16 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित (अभ्यर्थियों की सूची सहित)।

निदेशक (उच्च शिक्षा)

उत्तराखण्ड, नवाडखेड़ा, गौलापार (नैनीताल)